न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 10/2022
दायर दिनांकः 07.06.2022
निर्णय दिनांक 08.11.2024

—: अनवान :—

1. उॅकारलाल उर्फ ओमप्रकाश पिता नाथुजी जाति लौहार आयु 75 वर्ष निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द हाल मकान नम्बर 3, हरिशरण सोसायटी, शिव केदार, फ्लेट के सामनें, चांद लोढिया, अहमदाबाद (गुजरात)

— प्रार्थी/निगराकार

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पीपरड़ा, पंचायत समिति राजसमन्द, तहसील एवं जिला राजसमन्द
2. शिवशंकर लौहार पिता मियारामजी जाति लौहार आयु 35 वर्ष निवासी पीपरड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द

— गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 रा0पं0अ0 विरूद्ध ग्राम पंचायत पीपरडा, पट्टा संख्या 9689, दिनांक 23.12.2003 को निरस्त किये जानें बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री अतुल पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— अप्रार्थी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में दिनांक 23.12.2003 को आबादी भूमि का विकय विलेख (नियम 167 (1) अन्तर्गत) पुस्तक संख्या 17. पट्टा संख्या 9689 जो संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.12. 2003 द्वारा मन्जुर कर नियम 156, 157 पंचायतराज अधिनियम के तहत जारी किया, वह सरासर गलत व अवैद्य हैं, जो काबिले निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने के लिये यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही हैं। विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या दो को लाभ पहुंचाने की नियत से पट्टा जारी किया गया प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पंजिका में दिनांक 20.12.2003 को विपक्षी संख्या दो को पट्टा जारी किया हैं, इस आशय का अंकन नहीं हैं। दिनांक 20.12.2003 के बाद पंचायत की बैठक कार्यवाही भी नहीं हुई। ग्राम पंचायत की बैठक

न्यायालय जिला कलक्टर

दिनांक 20.12.2003 को कोरम हुई थी, उसमें सरपंच की अनुपस्थिति पर उप सरपंच द्वारा कोरम की अध्यक्षता की गई, उस कोरम में पंचायत द्वारा कई अन्य प्रस्ताव लिये गये परन्तु विपक्षी को पट्टा जारी करनें या उसके आवेदन के संबंध में या संकल्प संख्या 03 के बारे में कोरम की बैठक में कोई विवरण नहीं हैं। वर्ष 2003 की अन्तिम कोरम की बैठक दिनांक 20.12.2003 को थी. उसके पश्चात कोरम की बैठक नहीं हुई। ऐसे में विपक्षी को पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया विपक्षी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई हैं। ऐसे में जो पट्टा विपक्षी को जारी किया गया वह सरासर गलत हैं। जिन पड़ोसो के मध्य विपक्षी द्वारा पंचायत से जिस जमीन का पट्टा लिया गया, उन पड़ोसो के मध्य कोई जायदाद हैं हीं नहीं। यह केवल प्रार्थी की जायदाद हड़पनें के उद्देश्य से फर्जी रूपेण पट्टा बनवाया गया हैं जो काबिले निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत गांव के किसी भी स्थायी नागरिक को पट्टा जारी किये जानें का अधिकार हैं परन्तु पट्टा किस कानुन के अधीन जारी किया जा रहा हैं, जिस जगह का पट्टा जारी किया जा रहा हैं, उसकी वास्तविकता क्या हैं। इस बारे में पंचायत द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। यदि वास्तव में सत्यता की जांच की जाती तो इस प्रकार का गलत पट्टा पंचायत जारी नहीं करती। विपक्षी संख्या दो नें विपक्षी संख्या एक के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने नाम से पट्टा जारी कराया हैं, जो सरासर गलत एवं विधिविरूद्ध हैं। उक्त पट्टा काबिले निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी के द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड जो फरारा जाने वाली रोड के दक्षिण दिशा में स्थित हैं, जो प्रार्थी ने मोहनलालजी दर्जी से सम्वत् 2035 में स्वअर्जित आय से क्रय किया गया, इसे पुरा गांव व परिवार के लोग जानते हैं। प्रार्थी का भाई मायाराम प्रार्थी के साथ अपने कारखानें पर कार्य करता था। प्रार्थी का कारखाना अहमदाबाद, गुजरात में हैं। चूंकि प्रार्थी अपने परिवार सहित अहमदाबाद में रहता हैं। ऐसे में गांव पीपरड़ा में प्रार्थी के द्वारा जब मकान बनाया गया, उसमें मायाराम अपने परिवार सहित रहता था। मायाराम का निधन होनें के पश्चात मायाराम का पुत्र विपक्षी संख्या दो रहता हैं। इसी का लाभ उठाते हुए विपक्षी ने अपने नाम से ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा बना लिया। जो सरासर गलत हैं। जिस जगह का पट्टा बनाया गया वह प्रार्थी की क्रयशुदा जमीन हैं। ऐसे में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की जमीन पर विपक्षी द्वारा पट्टा बनाया गया वह काबिले निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत को नियम 157 व 158 के तहत पट्टा जारी करनें का अधिकार हैं, उसमें धारा 157 के तहत पुरानें गृहो का विनियमितिकरण एवं 158 में कमजोर वर्ग को भूमियों का आवंटन जिसमें पट्टे का क्षेत्रफल, शुल्क सभी निश्चित किया हुआ हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत विपक्षी संख्या एक को सर्वप्रथम इस बात के लिये सन्तुष्ट होना पड़ेगा कि जिस मकान का विपक्षी संख्या दो पट्टा बनवा रहा हैं, क्या उसका विपक्षी स्वामी, मालिक हैं या नहीं। चूंकि उक्त मकान वाली सम्पूर्ण जमीन का बिकावनामा प्रार्थी के पक्ष में हैं, इसके अलावा विपक्षी संख्या दो शिवशंकर अपने पिता मायाराम का अकेला वारिस नहीं हैं, उसके एक भाई बंशीलाल, माता मोहिनी एवं तीन बहिनें हैं। इन तमाम तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए ग्राम पंचायत ने नियम कानुन कायदो को ताक में रखते हुए मुख्य मार्ग जो गांव पीपरड़ा से फरारा जाने वाली रोड़ हैं, जिस पर स्थित प्रार्थी के मकान का पट्टा विपक्षी के नाम से जारी किया गया हैं। जिसमें विपक्षीगण नें जानबुझकर के गलत नाप एवं गलत पड़ोसो का अंकन किया हैं ताकी विपक्षी संख्या दो इसका लाभ ले सके। विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत को पट्टा जारी किये जाने से

न्यायालय जिला कलक्टर

पूर्व विपक्षी संख्या दो के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जिस मकान का पट्टा प्राप्त करना हैं, उसके स्वामित्व के दस्तावेज, पटवारी से आबादी की रिपोर्ट, पड़ोसियों के शपथ पत्र, सचिव द्वारा मौके की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत में नियुक्त कमेटी जिसमें वार्डपंच, सदस्य होते हैं, की जांच रिपोर्ट। इन तमाम कार्यवाही के पश्चात उजरदारी की आम सूचना जारी करना आवश्यक हैं लेकिन विपक्षी संख्या एक द्वारा इस प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रार्थी द्वारा इस बात की जानकारी की गई तो पंचायत द्वारा यहीं कहा गया कि उक्त पट्टा जारी होनें का कोई प्रस्ताव पंचायत में नहीं हैं, न हीं उक्त पट्टे के लिये जमा किये गये शुल्क की रसीद का पट्टे पर अंकन हैं। ग्राम पंचायत द्वारा केवलमात्र विपक्षी संख्या दो को लाभ पहुंचाने की नियत से व प्रार्थी के हक अधिकार को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पट्टा जारी किया हुआ प्रतीत होता हैं। चूंकि यदि वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा मौके की स्थिति की जांच की जाती तो वादग्रस्त स्थल के पड़ोस में रहने वाले यह जानकारी देते कि उक्त मकान प्रार्थी उंकारलाल का हैं। विपक्षी संख्या 1 ग्राम पंचायत ने अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया हैं। कानुन से परे जाकर कानुनी प्रक्रिया को अपनाये बिना पट्टा जारी किया जाना सरासर गलत हैं। वहीं विपक्षी संख्या दो द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य के मकान को धोखाधड़ी पूर्वक अपना मकान बताकर पंचायत में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मकान का पट्टा अपने नाम से बनवाया हैं जो काबिले निरस्त योग्य हैं। विपक्षी संख्या दो नें अपने आपको प्रार्थी के मकान को अपना बतानें का जो कृत्य किया गया हैं वह आपराधिक कृत्य हैं, जिसके खिलाफ प्रार्थी आवश्यकता होनें पर अलग से कार्यवाही करेगा। प्रार्थी को विपक्षी संख्या दो के पक्ष में जारी पट्टे की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी अभी अपने गांव आया हुआ था, तब प्रार्थी के परिवार के सदस्य परसराम लौहार द्वारा बताया गया कि विपक्षी संख्या दो नें पंचायत से मिलकर पट्टा बनवाया हैं। इस पर प्रार्थी ने इसकी जानकारी की एवं पट्टे की नकल प्राप्त कर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही हैं। विधि का सुस्पष्ट सिद्धान्त हैं कि जहां मेरिट पर प्रकरण मजबुत व अच्छा हो वहां पर मयाद को कण्डोन किया जाना आवश्यक हैं। उक्त प्रकरण में भी तथाकथित फर्जी पट्टा प्रारम्भ से हीं शुन्य व अवैध हैं। ऐसे में पट्टा जारी होनें की दिनांक से जानकारी होनें की अवधी को कण्डोन किया जाय ताकी प्रार्थी /निगराकार के साथ न्याय हो सके। प्रार्थी के द्वारा मयाद को कण्डोन का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या दो के पक्ष में विपक्षी संख्या एक द्वारा दिनांक 23.12.2003 को जारी पट्टा संख्या 9689, पुस्तक संख्या 017 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

अधिवक्ता निगराकार की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर

अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निगरानी याचिका में लिए गए आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या दो के पक्ष में दिनांक 23.12.2003 को आबादी भूमि का विकय विलेख (नियम 167 (1) अन्तर्गत) पुस्तक संख्या 17. पट्टा संख्या 9689 जो संकल्प संख्या 03 दिनांक 20.12.2003 द्वारा मन्जुर कर नियम 156, 157 पंचायतराज अधिनियम के तहत जारी किया, वह सरासर गलत व अवैद्य हैं, जो काबिले निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने के लिये यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही हैं। विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या दो को लाभ पहुंचाने की नियत से पट्टा जारी किया गया प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पंजिका में दिनांक 20.12.2003 को विपक्षी संख्या दो को पट्टा जारी किया हैं, इस आशय का अंकन नहीं हैं। दिनांक 20.12.2003 के बाद पंचायत की बैठक कार्यवाही भी नहीं हुई। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2003 को कोरम हुई थी, उसमें सरपंच की अनुपस्थिति पर उप सरपंच द्वारा कोरम की अध्यक्षता की गई, उस कोरम में पंचायत द्वारा कई अन्य प्रस्ताव लिये गये परन्तु विपक्षी को पट्टा जारी करनें या उसके आवेदन के संबंध में या संकल्प संख्या 03 के बारे में कोरम की बैठक में कोई विवरण नहीं हैं। वर्ष 2003 की अन्तिम कोरम की बैठक दिनांक 20.12.2003 को थी. उसके पश्चात कोरम की बैठक नहीं हुई। ऐसे में विपक्षी को पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया विपक्षी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई हैं। ऐसे में जो पट्टा विपक्षी को जारी किया गया वह सरासर गलत हैं। जिन पड़ोसो के मध्य विपक्षी द्वारा पंचायत से जिस जमीन का पट्टा लिया गया, उन पड़ोसो के मध्य कोई जायदाद हैं हीं नहीं। यह केवल प्रार्थी की जायदाद हड़पनें के उद्देश्य से फर्जी रूपेण पट्टा बनवाया गया हैं जो काबिले निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत गांव के किसी भी स्थायी नागरिक को पट्टा जारी किये जानें का अधिकार हैं परन्तु पट्टा किस कानुन के अधीन जारी किया जा रहा हैं, जिस जगह का पट्टा जारी किया जा रहा हैं, उसकी वास्तविकता क्या हैं। इस बारे में पंचायत द्वारा किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। यदि वास्तव में सत्यता की जांच की जाती तो इस प्रकार का गलत पट्टा पंचायत जारी नहीं करती। विपक्षी संख्या दो नें विपक्षी संख्या एक के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपने नाम से पट्टा जारी कराया हैं, जो सरासर गलत एवं विधिविरूद्ध हैं। उक्त पट्टा काबिले निरस्त योग्य हैं। प्रार्थी के द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड जो फरारा जाने वाली रोड के दक्षिण दिशा में स्थित हैं, जो प्रार्थी ने मोहनलालजी दर्जी से सम्वत् 2035 में स्वअर्जित आय से क्रय किया गया, इसे पुरा गांव व परिवार के लोग जानते हैं। प्रार्थी का भाई मायाराम प्रार्थी के साथ अपने कारखानें पर कार्य करता था। प्रार्थी का कारखाना अहमदाबाद, गुजरात में हैं। चूंकि प्रार्थी अपने परिवार सहित अहमदाबाद में रहता हैं। ऐसे में गांव पीपरड़ा में प्रार्थी के द्वारा जब मकान बनाया गया, उसमें मायाराम अपने परिवार सहित रहता था। मायाराम का निधन होनें के पश्चात मायाराम का पुत्र विपक्षी संख्या दो रहता हैं। इसी का लाभ उठाते हुए विपक्षी ने अपने नाम से ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा बना लिया। जो सरासर गलत हैं। जिस जगह का पट्टा बनाया गया वह प्रार्थी की क्रयशुदा जमीन हैं। ऐसे में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की जमीन पर विपक्षी द्वारा पट्टा बनाया गया वह काबिले निरस्त योग्य हैं। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी/निगराकार के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या दो के पक्ष में विपक्षी संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर

एक द्वारा दिनांक 23.12.2003 को जारी पट्टा संख्या 9689, पुस्तक संख्या 017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगराकार की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत पीपरडा के पत्रांक दिनांक 10.07.2022 के अनुसार प्रश्नगत पट्टे की मूल पत्रावली उपलब्ध नही हैं। जिससे यह निर्धारण नही किया जा सकता है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालना किया गया या नही। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होने से निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आक्षेपित पट्टा खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत फरारा द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 9689 दिनांक 23.12.2003 को निरस्त किया जाता है।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद